रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1986/फाल्गुन 28, 1907

No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1986/PHALGUNA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक सभा

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1986

अधिसूचना

सा० का० नि० 510 (अ)— भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप-पैरा (1) मे अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985, जो 18 मार्च, 1986 से प्रवृत्त हो गए हैं, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं —

"लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985

लोक सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों मे, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "समाचार" से लोक सभा समाचार अभिप्रेत है।

(ख) "समिति" से लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अभिप्रेत है,

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) इन नियमों के संबंध मे "प्रारम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उपपैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे।

(ङ) "सदन" से लोक सभा अभिप्रेत है,

(च) किसी विधान दल के संबंध मे "नेता" से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो समय-समय अनुपस्थिति मे इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप मे कार्य करने, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "सदस्य" से लोक सभा का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) "दसवीं अनुसूची" से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "महासचिव" से लोक सभा का महासचिव अभिप्रेत है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है ।

3. विधान-दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना.— (i) प्रत्येक विधान-दल का नेता (ऐसे विधानदल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधानदल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात:--

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधान-दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप 1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

(ख) तत्समय राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) और

(ग) जहां ऐसे विधान दल के कोई पृथक नियम और विनियम हैं, (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति ।

(2) जहां किसी विधान-दल में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा ।

(3) ऐसे किसी विधान दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर उपनियम (1) के उपबन्ध ऐसे विधान-दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधान दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है ।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उप नियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप नियम (2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा ।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उपनियम (1) और उप नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के आरम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधान दल का नेता या, जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधान दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर, प्ररूप 2 के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं ।

स्पष्टीकरण:— किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जाएगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना.—(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी अगली अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचिव को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व महासचिव के समक्ष, यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाणपत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करेगा और प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचिव को देगा ।

स्पष्टीकरण:— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाण पत्र" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण पत्र है ।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा ।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर.—(1) महासचिव, प्ररूप 4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी ।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना.—(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी